

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149)/2024/ 169

दिनांक : 16/04/2024

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित से.नि.तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री कन्हैया लाल मीणा तकनीकी सहायक	सीएचसी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर-प्रथम।	02.06.1964	30.06.2024
2	श्री गिरधारी लाल व्यास दंत तकनीशियन	राजकीय चिकित्सालय, तोपखाना देश जयपुर।	25.07.1964	31.07.2024
3	श्री मोहन सिंह इन्दा वरिष्ठ तकनीकी सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बालेसर, जोधपुर।	05.06.1964	30.06.2024
4	श्री राजा राम यादव लैब टैक्नीशियन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर कोटपुतली-बहरोड।	01.07.1964	30.06.2024
5	श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी लैब टैक्नीशियन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी विराटनगर, कोटपुतली-बहरोड।	02.06.1964	30.06.2024

RajKaj Ref  
6355855



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.04.08 12:23:26 IST  
Reason: Approved

6	श्री विमल कुमार शर्मा टी.बी.-एच.वी.	जिला क्षय निवारण केन्द्र, दौसा।	30.06.1964	30.06.2024
---	--	------------------------------------	------------	------------

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149)/2024 / 169

दिनांक : 16/04/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी सैल मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी  
के विरुद्ध यदि  
आडिट पेरा या  
अन्य कोई  
वसूली बकाया  
हो तो उसकी  
वसूली तत्काल  
कर निदेशालय  
को अवगत  
करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
6355855

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2024.04.08 12:23:26 IST  
Reason: Approved